तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	पत्रावली पेश हुई।	
07/10/24	प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जबाव पेश करने में विफल रहे है। लिहाजा इनके जवाब का अवसर बंद किया जाता है। बहस प्रार्थी वकील की सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 234, 237, 1359/236, 1274/235 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1273/235 रकबा 0.7600 हैक्टर के चारों तरफ सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)